भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2990
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

2990 श्री हारिस बीरान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2026 से उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सरकार को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों की उच्च न्यायालय-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकृत और अधिसूचित की गई हैं और कितनी लंबित हैं और प्रत्येक के लंबित रहने के क्या विशिष्ट कारण हैं ;

(ग) क्या केरल उच्च न्यायालय से संबंधित सिफारिश भी लंबित सिफारिशों में शामिल है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन तथा उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के निर्णय के साथ पठित उनकी तारीख 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की सलाहकारी राय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार की गई प्रक्रिया

ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के दो उत्तरवर्ती वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किसी रिक्ति के होने से कम से कम छह मास पूर्व सिफारिशें किया जाना अपेक्षित है। तथापि, इस समयसीमा का बिरले ही पालन किया जाता है। उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हों। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकार और भारत सरकार की सिफारिशें तब उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए अग्रेषित की जाती हैं। केवल उन व्यक्तियों को, जिनके नामों की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जनवरी, 2026 से तारीख 10.08.2026 तक केरल उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में 52 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
